

खरीफ
4.12.2024

2024/697

फद अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
रामकुमार बनाम रामरख आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 183 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
05.11.2024	<p>प्रार्थी रामकुमार की तरफ से वकील श्री बलवन्तराम छिम्पा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा घणियासर के ख.नं. 226 की 8.602 है., 95 की 1.518 है. कुल 10.120 है. भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 06.12.2024 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	
4.12.2024	<p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मिशाल पेक्षी पेक्षकले पर प्रजावनी को पेक्षी के निपा 0891 वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र 212 डाक के नही चलाना चाहते हैं। मौजूदा रिचर्च में जारीज करवाना चाहते हैं। कुल प्रार्थना-पत्र 212 मौजूदा रिचर्च में जारीज किया जाता है। प्रजावनी नम्बर से काम की जाकर आउ तस्वीर तस्वीर जापना दाखिल हफ्तर हो।</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	

